HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Criminal Miscellaneous Petition No. 6641/2025

Kishan Agrawal Son of Shri Ghisi Lal, R/o Suraj Pole Bazar, Jaipur City North.

----Accused-Petitioner

Versus

1. State of Rajasthan, Through P.P.

----Respondent

2. Subhash Chand Son of Shri Mahaveer Prasad Banka, R/o Shahpura Road, Neem Ka Thana, District Sikar.

----Complainant-Respondent

For Petitioner(s)	:	Mr. C.M. Verma, Adv.
For Respondent(s)	:	Mr. Vijay Singh Yadav, Addl. GA
For Complainant(s)	:	None

HON'BLE MR. JUSTICE BHUWAN GOYAL

Order

25/02/2026

1 याची–अभियुक्त की ओर से उक्त एकलपीठ आपराधिक विविध याचिका अंतर्गत धारा **528 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता** में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या– **68/2024** पुलिस थाना– **नीम का थाना(सीकर)**, जिला– **नीम का थाना**, अपराध अंतर्गत धारा **420, 406, 120–बी भारतीय दंड संहिता** एवं उससे उद्भूत समस्त कार्यवाही को रद्द एवं अपास्त किए जाने की प्रार्थना के साथ प्रस्तुत की गई है, साथ ही **स्थगन प्रार्थना पत्र** प्रस्तुत किया गया है।

2 तीन सप्ताह की वापसी के साथ अयाचीगण को नोटिस जारी किए जावें, विद्वान अतिरिक्त राजकीय अधिवक्ता अयाची संख्या–01 की ओर से नोटिस स्वीकार करते है।

3 विद्वान् अधिवक्ता याची–अभियुक्त का तर्क है कि प्रस्तुत मामले में याची–अभियुक्त निर्दोष है, उनका कथन है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट के अवलोकन से पक्षकारों के मध्य पैसों का विवाद होना प्रकट होता है, जो

कि सिविल प्रकृति का वाद है, उनका यह भी कथन है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट में परिवादी ने याची–अभियुक्त द्वारा उसे उसके ब्लॉक खाते के चेक देकर धोखाधड़ी करना अंकित किया है, उक्त चेकों के संदर्भ में परिवादी द्वारा धारा 138 एन.आई.एक्ट में पृथक से परिवाद पेश कर कार्यवाही की जा रही है, एवं उसमें न्यायालय द्वारा प्रसंज्ञान भी लिया जा चुका है, किन्तु पुनः उन्हीं चेकों के आधार पर पुलिस से मिलकर उक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई है, उनका कथन है कि याची–अभियुक्त अन्वेषण में भाग लेने के लिए तैयार एवं तत्पर है, पुलिस उसे गिरफ्तार करने पर आमादा है, अतः याची–अभियुक्त को उक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट के संदर्भ में अंतरिम सुरक्षा प्रदान की जावे। विद्वान अधिवक्ता याची–अभियुक्त द्वारा अपने कथनों के समर्थन में निम्न न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किया गया–

S.B. CRIMINAL MISC. PETITION NO. 7995/2025

Surendra Verma Vs State of Rajasthan & ors

4 विद्वान अतिरिक्त राजकीय अधिवक्ता ने याची–अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत अंतरिम सुरक्षा प्रदान किए जाने की प्रार्थना का विरोध करते हुए उसे अस्वीकार करने की प्रार्थना की।

5 मैंने पत्रावली का सम्मानपूर्वक अवलोकन किया तथा उभयपक्ष के तर्कों पर गंभीरतापूर्वक मनन किया।

6 हस्तगत प्रकरण के तथ्यों, परिस्थितियों, विद्वान अधिवक्ता याची–अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत तर्कों आदि को दृष्टिगत रखते हुए याची–अभियुक्त को न्यायहित में आदेश दिया जाता है कि यदि वह दिनांक **12.03.2026** को या उससे पूर्व अनुसंधान अधिकारी के समक्ष उपस्थित होकर अनुसंधान में भाग ले तो उसके विरुद्ध दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या **68/2024** के संदर्भ में आगामी तिथि तक कोई बलपूर्वक कार्यवाही (**No Coercive Action**) नहीं की जावे, याची–अभियुक्त के उक्त तिथि तक अनुसंधान हेतु उपस्थित नहीं होने पर उक्त आदेश स्वतः ही निरस्त माना जावेगा।

7 अनुसंधान अधिकारी को यह निर्देशित किया जाता है कि वह प्रकरण में आवश्यक अनुसंधान कर आगामी तिथि पर प्रकरण की तथ्यात्मक रिपोर्ट न्यायालय में प्रस्तुत करे।

8 प्रकरण **3 सप्ताह** पश्चात् सूचीबद्ध किया जावे।

(BHUWAN GOYAL),J

RAHUL KUMAR KHANDELWAL /6